न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर जिला जोधपुर
राष्ट्रीय लोक अदालत कैम्प पीपाड़ शहर

पीठासीन अधिकारी, श्रीमती कंचन राठौड़ आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या – 122/2022
जीसीएमएस सं. – 2022/442

–:: वादी ::–

रामसुख पुत्र नेमाराम जाति माली निवासी पीपाड़ शहर तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।

बनाम

–:: प्रतिवादीगण ::–

1. अशोक पुत्र तुलछाराम
2. नरसिंह पुत्र तुलछाराम
3. गुड्डी पुत्री तुलछाराम
4. जिमना पुत्री तुलछाराम
5. चन्द्रादेवी पत्नि तुलछाराम
6. कैलाश पुत्र बंशीलाल
7. पिन्टु पुत्री बंशीलाल
8. किरणा पुत्री बंशीलाल
9. सोवनी पत्नि बंशीलाल
10. थानाराम पुत्र देवाराम
11. बंशीलाल पुत्र देवाराम

सभी जातियान माली निवासीगण रेल्वे स्टेशन के पास पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।

12. भूमिधारी जरिये तहसीलदार पीपाड़ शहर।

<u>राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

<u>दर्ज तारीख :– 19.12.2022</u>

उपस्थित अधिवक्ता :–
1. श्री जितेन्द्र कच्छावाह अधिवक्ता वादी
2. श्री ऋषि टाक अधिवक्ता प्रतिवीगण

<u>निर्णय</u>

दिनांक : 09.09.2023

वादी ने एक राजस्व वाद पत्र धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि ग्राम पीपाड़ शहर पटवार क्षैत्र पीपाड़ शहर तहसील पीपाड़ शहर की राजस्व सीमा में वादी की सहखातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1795/2 रकबा 0.8009 हैक्टयर किस्म बारानी द्वितीय व खसरा नम्बर 1844/1 रकबा 0. 7847 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम कृषि भूमि स्थित है जो राजस्व रेकर्ड के खाता संख्या नया 1057 व पुराना 641 पर इन्द्राजसुदा है। जिसे आगे वादपत्र में वादग्रस्त आराजी के नाम से संबोधित किया जायेगा। खसरान के राजस्व रेकर्ड में वादी रामसुख पुत्र निम्बाराम के नाम से 1/4 हक हिस्सा इन्द्राजसुवा है जबकि वादी के पिता का वास्तविक नाम नेमाराम है लेकिन राजस्व रेकर्ड में रामसुख पुत्र निम्बाराम इन्द्राज हो गया व उक्त त्रुटिपूर्ण नाम के कारण वादी को वैचान हस्तांतरण एवं कृषि भूमि आधारित अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न हो रही है। ग्राम पीपाड़ शहर में खाता संख्या 1057 में वादी का नाम रामसुख पुत्र निम्बाराम इन्द्राज हैं इसलिए ग्राम पीपाड़ शहर में स्थित कृषि भूमि खसरा

संख्या 1795/2 व 1844/1 में रामसुख पुत्र नेमाराम नाम इन्द्राज घोषित किये जाने हेतु उक्त वादपत्र प्रस्तुत हैं। वादी ने अपने पिता के नाम को सही करवाने हेतु दिनांक 24.11.2022 को तहसीलदार पीपाड़ शहर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर प्रतिवादी संख्या 12 द्वारा सक्षम न्यायालय से आदेश होने के पश्चात ही नाम दुरुस्त करने का सुझाव दिया व कानूनी रूप से नाम सही नहीं करने हेतु अपने आप को असमर्थ बताया इसलिए वादी द्वारा श्रीमान न्यायालय के समक्ष वाद पेश करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं हैं। वाद कारण दिनांक 24.11.2022 को प्रतिवादी संख्या 12 द्वारा नाम दुरुस्त करने से मना कर देने पर उत्पन्न हुआ जो लगातार रूप से उत्पन्न हो रहा हैं। इस्तदुआ वादी की इस प्रकार से है कि वादी के पक्ष में व प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की नाम शुद्धि की घोषणी की डिक्री सादिर फरमायी जावें कि ग्राम पीपाड़ शहर में स्थित खसरा नम्बर 1795/2 व 1844/1 में रामसुख पुत्र निम्बाराम के स्थान पर रामसुख पुत्र नेमाराम किये जाने के आदेश फरमावें।

वादी के वाद पत्र को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। प्रतिवादीगण की ओर अधिवक्ता ऋषि टाक ने वकालतनामा प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाता है तो कोई आपत्ति नही हैं।

हमने वादी के वाद पत्र एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन कर वादी का वाद पत्र स्वीकार कर तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेश दिया जाता हैं कि राजस्व ग्राम पीपाड़ शहर के खसरा नम्बर 1795/2 रकबा 0.8009 हैक्टयर व 1844/1 रकबा 0.7847 भूमि में दर्ज नाम रामसुख पुत्र निम्बाराम के स्थान पर रामसुख पुत्र नेमाराम दर्ज कर राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करें।

(कंचन राठौड़)
सहायक कलेक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

निर्णय आज दिनांक 09.09.2023 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(कंचन राठौड़)
सहायक कलेक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर